इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024—पौष 6, शक 1946

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

क.एफ 1—59 / 2018 / 20—1:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018'' में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 5 में उप—नियम 4 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन;''।

(2) नियम 8 में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द, ''शिक्षक पात्रता परीक्षा'' के स्थान पर, शब्द, ''शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, शिक्षक चयन परीक्षा'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उप—नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विर्निदिष्ट आयु प्राप्त न की हो ;''।

(3) नियम 11 में, उप–नियम 7 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"(ख) रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:–

(एक) मध्यप्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे;

(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे;

(तीन) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार 6 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए, केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे–

(क) दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि;

(ख) श्रवण बाधित और कम सुनने वाले;

(ग) लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,एसिड अटैक पीड़ित, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं;

(घ) बहुदिव्यांगता, उपरोक्तानुसार का (क), (ख) और (ग) को सम्मिलित करते हुए।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी दिव्यांगता के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत का प्रमाण–पत्र विधिमान्य होगा।)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–8–2/2013/ए.पी./1 दिनांक 30 जून, 2014 अथवा समय–समय पर इस निमित्त जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षण प्रवर्गवार नहीं होगा बल्कि श्रेणीवार होगा। आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण–पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा;

(चार) सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश

शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परन्तु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण.– न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगें जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा;

(पांच) अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए, जैसा कि शासन द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किया जाए।"।

(4) विद्यमान अनुसूची –एक, अनुसूची–दो, अनुसूची–तीन एवं अनुसूची–चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुसूची–एक

(नियम–6 तथा 4 देखिए)

शैक्षणिक संवर्ग

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्राचार्य हाईस्कूल / उपप्राचार्य	1114	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 4200 ग्रेड–पे (सातवां वेतन आयोग में पे–लेवल–10 42700–135100)	आयुक्त लोक शिक्षण	–
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक	48223	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	–"तदैव"–	–
3	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–

4	माध्यमिक शिक्षक	99157	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	–"तदैव"–	–
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	–
6	माध्यमिक शिक्षक संगीत(गायन/वादन/नृत्य)	700	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	–"तदैव"–	
7	माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी	प्रक्रियाधीन	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
8	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	जिला शिक्षा अधिकारी	–
9	प्राथमिक शिक्षक	1,31,152	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
10	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
11	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	8515	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	

12	प्राथमिक शिक्षक संगीत(गायन/ वादन)	635	—"तदैव"—	5200—20200+2400 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—6 25300—80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
13	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	254	—"तदैव"—	5200—20200+2400 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—6 25300—80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
14	प्राथमिक शिक्षक— आई. टी .	762	—"तदैव"—	5200—20200+2400 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—6 25300—80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
15	माध्यमिक शिक्षक — फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	254	—"तदैव"—	9300—34800+3200 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—8 32800—103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
16	माध्यमिक शिक्षक —फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/ मूर्तिकला)	254	—"तदैव"—	9300—34800+3200 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—8 32800—103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
17	माध्यमिक शिक्षक — फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	254	—"तदैव"—	9300—34800+3200 ग्रेड—पे (सातवां वेतनमान में पे—लेवल—8 32800—103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	

*पद सृर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:

अनुसूची—दो
(नियम 5 और 14 देखिए)
शैक्षणिक संवर्ग

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्राचार्य हाईस्कूल/ उपप्रपचार्य	1114	——	100 प्रतिशत
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक	48223	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

3	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	——	100 प्रतिशत
4	माध्यमिक शिक्षक	99157	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन नृत्य)	700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0*	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
8	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250		100 प्रतिशत
9	प्राथमिक शिक्षक	131152	100 प्रतिशत	—
10	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	100 प्रतिशत	—
11	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	8515	100 प्रतिशत	
12	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/ वादन)	635	100 प्रतिशत	—
13	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	254	100 प्रतिशत	
14	प्राथमिक शिक्षक आईटी	762	100 प्रतिशत	
15	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	254	100 प्रतिशत	
16	माध्यमिक शिक्षक –फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/मूर्तिकला)	254	100 प्रतिशत	
17	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	254	100 प्रतिशत	

*पद स्वीकृति की प्रकिया जारी

(1) जैसे जैसे विभाग के नियमित केडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक,व्याख्याता के पदों (डाइंग केडर) पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगें वैसे वैसे उनके पद इसमें जुडते जाएंगें।

(2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (कृषि) के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

अनुसूची–तीन
(नियम 8देखिए)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी.एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)/ बी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता , मानदण्ड तथा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2.पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3.संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो। 4. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश्वविद्यालय से कॉलम 5 में अंकित अनुसार प्रतिशत के साथ शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एड/ बी.एड उपाधि धारित करना

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				क्रियाविधि)विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक बी.एल.एड.संबधित विषय के साथ अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड/ बीएससी बी एड या बीए एड अथवा बीएससी एड 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
3.	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा / विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंध प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी. एलएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। 4. प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए व्यवसायिक योग्यता–विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (RCI से मान्यता प्राप्त)धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएगें। 5. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (RCI से मान्यता प्राप्त) धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा के रूप में पदस्थापना हेतु पृथक से चयन परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
4.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के	1.कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी –विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			प्रचलित निर्देशानुसार	प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा /विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा/ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) आवश्यक होगा। अथवा अनुक्रमांक 3 पर अंकित योग्यताएं विज्ञान विषय सहित 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा नि:शक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा चयन संबंधी प्रावधान शिथिल क सकेगा। 3. ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हाय सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय वे साथ उत्तीर्ण होंगें उन्हें प्राथमिव शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा।
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.शारीरिक शिक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा समकक्ष 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा नि:शक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
6	प्राथमिक शिक्षक खेल	21	सामान्य प्रशासन विभाग के	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			प्रचलित निर्देशानुसार	और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बीपीएड/ बीपीई 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दीं जाएगी।	2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चय परीक्षा के माध्यम से चयनित होन अनिवार्य होगा।
7	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. म्यूज/एम.म्यूज /विद् / कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष। 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
8	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/वादन में डिप्लोमा अथवा बी.म्यूज/ एम. म्यूज/ विद्/ कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2.अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
9	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.म्यूज नृत्य/एम.म्यूज नृत्य या समकक्ष 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
10	माध्यमिक शिक्षक –आई टी	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई (स्नातक उपाधि)/एम.सी.ए./एम. एस.सी –कंप्यूटर साइंस/ आई.टी/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ सॉफटवेअर में 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
11	प्राथमिक शिक्षक –आई टी	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी तथा 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री –कंप्यूटर साइंस/आई.टी/ सॉफटवेअर इंजीनियरिंग 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
12	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
13	माध्यमिक शिक्षक –फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/मूर्तिकला)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से मूर्तिकला में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
14	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्राफिक आर्ट में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।

नोट– 1.सीधी भर्ती हेतु आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में सूची के कमांक 2 एवं 3 पर अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में NCTE द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। 2. सभी पदों के लिए शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा।

अनुसूची–चार
(नियम 14)
शैक्षणिक संवर्ग

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल /उप प्राचार्य	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	बी.एड अनिवार्य
2	1. माध्यमिक शिक्षक 2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड योग्यता अनिवार्य
3	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण –अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
4	1. प्राथमिक शिक्षक	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष।	स्नातक उपाधि

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
	2.प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक) 3. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)			(2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	एवं बीएड/ डीएड योग्यता अनिवार्य
5	प्राथमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1)जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
6	प्राथमिक शिक्षक खेल	माध्यमिक शिक्षक खेल	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
7	1. प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन) 2. प्राथमिक शिक्षक नृत्य	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन, नृत्य)	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	पदों की संख्या के अनुपात में
8	प्राथमिक शिक्षक आईटी	माध्यमिक शिक्षक आईटी	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव ।	

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
				(4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	

टीप–

(1) ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्हे शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरुस्कार के अधीन राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हो जाने पर उसे वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी।

(2) कॉलम–1 के अनुक्रमांक–1 पर अंकित प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक की पदस्थापना अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। इस अवधि में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नही करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

NO. F 1-59/2018/20-1:: In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In rule 5, in sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) for direct recruitment by selection through teacher selection test after qualifying in teacher eligibility test;".

(2) In rule 8,-

(i) in the opening paragraph for the words "Teacher Eligibility Test", the words after qualifying in the Teacher Eligibility Test ,Teacher Selection Test" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III but must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on January 1 of the year of the advertisement issued for the selection test;".

(3) In rule 11, in sub-rule 7; for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) for vacant posts, the horizontal reservation shall be as follows, namely:-

(i) for each category of vacant posts, 50% posts shall be reserved for women candidates of Madhya Pradesh;

(ii) for each category of vacant posts, 10% posts shall be reserved for ex-servicemen;

(iii) as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, 6% posts shall be reserved for disabled persons, only at the time of initial recruitment for persons suffering from:-

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) multiple disabilities including (a), (b) and (c), as above.

(Certificate of minimum 40% with permanent disability issued by notified medical authority/medical board shall be valid)

As per letter number F-'8-2/2013/A.P./1 dated 30 June, 2014 of Government of Madhya Pradesh General Administration Department, or any other order issued in this behalf, from time to time, reservation shall not be category wise but shall be

class wise for disabled persons. Reservation shall be given as per the instructions of General Administration Department.

Explanation.- The benefit of disabled reservation can be availed only on the basis of permanent disability with a minimum of 40% or more and a valid certificate issued by the competent authority;

(iv) 50 percent vacancies of the total available vacancies of teachers for direct recruitment shall be reserved for Atithi Shikshak (Guest Teacher) in each category, who have worked as guest teachers in Government schools run by the Government of Madhya Pradesh for a minimum of three academic sessions and a minimum of 200 days. But in case the posts reserved for Guest Teachers are not filled, the vacant posts shall be filled by other eligible candidates.

Explanation.- Minimum 3 academic sessions shall be considered complete only when a minimum of 30 days have been worked as a Guest Teacher in each session. Apart from this, the total teaching experience of all the three sessions shall be a minimum of 200 days;

(v) for any other category as may be notified by the State Government from time to time.".

the existing Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and edule-IV, the following schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE -I
(see rule 6 and 14)

S. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
1.	Principal, High School/ Vice Principal	1114	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay Pay level-10 in 7th Pay Commission (42700-135100)	Commissioner, Public Instruction	--do--
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	48223	--do--	9300-34800+3600 Grade Pay Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	--do--	--do--
3.	Head Master, Middle School	250	--do--	9300-34800+3600 Grade Pay Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	Divisional Joint Director, Public Instruction	--do--
4.	Madhyamik Shikshak	99157	Class-III	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan /Dance	700	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
7.	Madhyamik Shikshak – Information Technology	0 (under process)*	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
8.	Head Master, Primary School	250	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	District Education Officer	--do--
9.	Prathmik Shikshak	131152	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
10.	Prathmik Shikshak - Khel	860	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
11.	Prathmik Shikshak-Vigyan (Previous designation Prayogshala Shikshak)	8515	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
12.	Prathmik Shikshak - Music-Gayan/Vadan	635	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity (Dance)	254	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
14.	Prathmik Shikshak - Information Technology	762	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
15.	Madhyamik Shikshak - Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
16.	Madhyamik Shikshak -Fine Art, Craft (Sculpture)	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
17.	Madhyamik Shikshak - Fine Art, Craft (Graphic Art))	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--

Note: * Post creation is under process.

SCHEDULE -II

(see rule 5 and 14)

S.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled in	
			By direct Recruitment [rule 5(4) (a)]	By promotion [rule 5(4) (b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1114	-	100
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	48223	50	50
3.	Head Master MiddleSchool	250	-	100
4.	Madhyamik Shikshak	99157	50	50
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	50	50
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan, Nraty(Dance)	700	50	50
7.	Madhyamik Shikshak – Information Technology	0 (under process)*	50	50
8.	HeadMaster Primary. School	250	-	100
9.	Prathmik Shikshak	131152	100	-
10.	Prathmik Shikshak -Khel	860	100	-
11.	Prathmik Shikshak – Vigyan	8515	100	-
12.	Prathmik Shikshak - Music-GayanVadan	635	100	-
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity(Dance)	254	100	-
14.	Prathmik Shikshak – Information Technology	762	100	-
15.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	254	100	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Sculpture)	254	100	-
17.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Graphic Art)	254	100	-

Note: * Post creation is under process.

(1) As soon as the public servants working in the regular cadre of the Department such as Assistant Teacher, Upper Division Teacher, Lecturer (in the dyeing cadre) retire, their posts shall be added to it.

(2) 100% posts of Uchch Madhyamik Shikshak (Agriculture) shall be filled by direct recruitment.

SCHEDULE -III

(see rule 8)

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Master's Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of Education (B.Ed) or its equivalent.	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. 3. In respect of UMS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Acharya Degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess B.Ed Degree.
2.	Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Bachelor's Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test.

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education). OR Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002, or any other instructions issued in this behalf, from time to time. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).	3. Related subject means that the related main subject has been studied for 3 years during Graduation. 4. In respect of MS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Shastri Degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in 50% or 45% (as mentioned in education qualification column) from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess B.Ed Degree/D.L.ED

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed or B.A.Ed./B.Sc., Ed.) 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
3.	Prathmik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Elementary Education/ Diploma in Elementary Education (Special	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Education) or its equivalent. Or Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). OR Graduation and 2 year Diploma in Elementary Education or its equivalent. Relaxation up to 5% in the	department may relax the compulsion of Teacher Selection Test. 3. In respect of PS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Uttar Madhyama in Sanskrit Literature/Grammar etc. with prescribed percentage mentioned in educational qualifications column from a recognized Institute/Board shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess D.El.Ed 4.Professional qualification required for appointment of primary teacher is that the candidates must possess 2 year Diploma in Elementary Education with Special Education RCI Recognised shall be given 5 percent marks as bonus marks of the marks obtained by them in

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	the selection examination. 5. A separate Teacher selection Test may be conducted for candidates who have passed the Teacher Eligibility Test and have a 2 year Diploma in Elementary Education in Special Education (recognized by RCI) for Primary Teachers as Special Educators
4.	Prathmik Shikshak – Vigyan (previous designation-Prayogshala Shikshak)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher secondary with atleast 50% marks in Science faculty. With D.El.Ed /B.El.Ed/Special B.El.Ed or its equivalent OR Qualifications as mentioned in serial number 3 with Science subject 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes,	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment the Department may relax the compulsion of Techer Selection Test. 3. Such primary teachers who shall have cleared Higher Secondary Examination with Science subject can be posted as Primary Teacher Science

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Other Backward Classes and persons with disabilities.	
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	B.P.Ed./B.P.E./ Bachelor of Physical Education with at least 50% marks or its equivalent 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test.
6.	PrathmikShikshak -Khel	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks and Diploma in Physical Education from any recognized Institution. Or B.P.Ed./B.P.E./ Bachelor of physical education or its equivalent	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
7.	Madhyamik Shikshak - Music-Gayan Vadan/ Dance	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Higher Secondary with at least 50% marks and B Mus. /M.Mus./Vid/ Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	--do--
8.	PrathmikShikshak - Music-Gayan/	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh,	1.Higher secondary with at least 50% marks and Diploma in	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Vadan		General Administration Department	Gayan Vadan /B Mus. /M.Mus./Vid/ Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2.Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
9.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity (Dance)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher secondary with atleast 50% marks and diploma in Dance /B Mus. Dance/M.Mus. Dance /Vid/Kovid/ Ratana in Dance or equivalent to B Mus Dance 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes,	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
10.	Madhyamik Shikshak - Information Technology	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	B.E/Graduation/ Post Graduation in Computer Science / Information Technology /Computer Engineering with at least 50% marks 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	--do--
11.	Prathmik Shikshak - Information Technology	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 3 years Diploma /Degree in Computer Science / Information Technology	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				/software engineering 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
12.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Degree from any recognized Institution in Drawing and Painting or its equivalent	--do--
13.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Sculpture)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Degree from any recognized Institution in Sculpture or its equivalent	--do--
14.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft	21 years	As per instructions of the	Degree from any recognized Institution in	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Graphic Art)		Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Graphic Art or its equivalent	

Note: In relation to the minimum qualification of Madhyamik Shikshak and Prathmik Shikshak mentioned at number 2 and 3 of the Schedule, the educational qualification and professional qualification shall be accepted according to the amendments issued by the NCTE, from time to time .This shall be applicable for candidates of selection test examinations. Candidates shall be considered eligible only if they possess all educational and professional qualifications from a recognized Institute.

SCHEDULE -IV

(see rule 14)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	Principal, High School/Vice Principal	5 years	**1.** Commissioner, Public Instruction —Chairperson **2.** Director, Public instruction — Member **3.** Additional Director/Joint Director— Member **4.** Deputy Director/ Assistant Director —Member Secretary **5.** Class-I/Class-II Officer from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	Must possess B.Ed Degree
2.	Madhyamik Shikshak HM Madhyamik shala	Uchch Madhyamik Shikshak	5 years	--do--	Must possess Post Graduation Degree with B.Ed
3.	Madhyamik Shikshak	Hm Madhyamik shala	5 years	1. Divisional Joint Director, Public Instruction — Chairperson 2. District Education Officer—Member 3. Principal, Higher Secondary School—Member	Must possess Graduation with B.Ed/D.Ed

S. No.	**Name of the Post from which promotion is to be made**	**Name of the post on which promotion is to be made**	**Experience for the post**	**Departmental Promotion Committee**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				4.Assistant Director—Member Secretary 5.Class-I/Class-II Officer from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	
4.	1.Prathmik Shikshak 2.Prathmik Shikshak Vigyan (previous designation Prayogshala Shikshak) 3.Headmaster (Prathmik Shala)	Madhyamik Shikshak	5 years	--do--	---
5.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan (previous designation Prayogshala Shikshak)	Head Master Primary School	5 years	--do--	---
6.	Prathmik Shikshak -Khel	Madhyamik Shikshak - Khel	5 years	--do--	---
7.	Prathmik Shikshak -Music-Gayan/Vadan	Madhyamik Shikshak - Music-Gayan	5 years	--do--	Ratio of post must be maintained

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prathmik Shikshak- Music-Nrity (Dance)	Vadan/ Dance			
8.	Prathmik Shikshak –Information Technology	Madhyamik Shikshak – Information Technology	5 years	--do--	---

Note:

1. The Madhyamik Shikshak and Primary Shikshak who have received the President's/Governor's Award under the Scheme of National Award/State Award to teachers shall be given out of turn promotion:
   Provided that he has obtained the Senior Pay Scale/Time Pay Scale or any other corresponding Higher Pay Scale and is otherwise eligible for promotion.

2. The Public servant promoted to the post of Principal, High School mentioned in serial number 1 of Column (1) shall compulsorily be posted in rural area for three years. The promoted public servant shall have to undergo training for a month by an Institution recognized for awarding Diploma certificate in Educational Management. In addition, leadership training of one month from SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore shall be required to be undergone. In case of leadership training by SIEMAT, the project implementation module shall be required to be prepared by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management. An additional time of one year shall be given to those promoted public servant who are not able to complete the training successfully. The public servant not completing training successfully despite this opportunity shall be reverted back to the previous post.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल सोलंकी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.